संख्या:–2150/अड़तीस–7–2013–369एनआरईजीए/2008

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

2– मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि के संबंध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्र संख्या:–एल–11033/8/2012–MGNREGA-VII दिनांक 17–08–2012 द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के प्रशासनिक व्यय मद की 06 प्रतिशत धनराशि में से 01 प्रतिशत धनराशि सोशल आडिट हेतु चिन्हित की गयी है। भारत सरकार द्वारा की गयी उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक व्यय मद की धनराशि की अनुमन्यता तथा विभिन्न मदों की धनराशि के व्यय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या:–1964/38–7–2010–369एनआरईजीए/2008, दिनांक 26–05–2010 को संशोधित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती हैः–

1. **ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष प्रशासनिक मद की धनराशिः–**

वरि-आ(N)/ ति वैभव

योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कुल सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष सृजित प्रशासनिक मद(05 प्रतिशत) में से 3/5 भाग ग्राम पंचायत स्तर, 1/5 भाग क्षेत्र पंचायत स्तर पर, 0.5/5 भाग जिला स्तर पर एवं 0.5/5 भाग राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रोकते हुए व्यय किया जायेगा।

2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से प्राप्त हुई निधि से क्षेत्र पंचायत स्तर पर सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष प्रशासनिक मद की धनराशिः–**

जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर से प्राप्त हुई निधि से क्षेत्र पंचायत स्तर पर सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष सृजित हुए 5 प्रतिशत प्रशासनिक मद में से 2.5/5 भाग विकास खण्ड स्तर पर, 2/5 भाग जिला स्तर पर एवं 0.5/5 भाग राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक मद के अन्तर्गत रोकते हुए व्यय किया जायेगा।

3. **कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य से सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष प्रशासनिक मद की धनराशिः–**

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य से सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष सृजित प्रशासनिक मद में से 4.5/5 भाग जनपद स्तर पर एवं 0.5/5 भाग राज्य मुख्यालय स्तर पर रोकते हुए व्यय किया जायेगा।

कनवर्जेन्स मद के अन्तर्गत लाइन डिपार्टमेंट द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष सृजित हुए प्रशासनिक मद में से जनपद स्तर पर रोके गये 4.5/5 भाग को जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन में जनपद स्तर, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत स्तर की आवश्यकतानुसार प्रशासनिक मद के अनुमन्य मदों में व्यय किया जायेगा।

4. राज्य मुख्यालय से जनपदों को धनराशि प्रेषित करते समय संबंधित जनपद में विगत 03 माहों में सृजित प्रशासनिक मद में से राज्य मुख्यालय के अंश(0.5 प्रतिशत) राज्य मुख्यालय पर रोकते हुए धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

   मनरेगा राज्य मुख्यालय पर प्रशासनिक मद की धनराशि गत तीन माहों के वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य मुख्यालय पर रोका जायेगा, जिससे लगभग 52 हजार ग्राम पंचायतों एवं 1000 से अधिक अन्य कार्यदायी संस्थाओं से प्रशासनिक मद की निधि की वापस मांग करने में प्रशासनिक मशीनरी का दुरूपयोग एवं अनावश्यक समय नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। प्रशासनिक मद की धनराशि अग्रिम रूप में नहीं रोकी जायेगी।

5. सोशल आडिट के लिए प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम 1/6 भाग अथवा सोशल आडिट निदेशालय द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित करायी गयी वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार की गयी धनराशि में से जो कम हो उपलब्ध कराया जायेगा। सोशल आडिट निदेशालय को मनरेगा योजनान्तर्गत विगत 03 माहों में हुए व्यय के सापेक्ष सृजित प्रशासनिक मद की निधि से निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

   सोशल आडिट के लिए अनुमन्य 1/6 का सम्पूर्ण भाग सोशल आडिट निदेशालय के राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। सोशल आडिट के अन्तर्गत राज्य स्तर , जनपद स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं पर होने वाली गतिविधियों/ मानदेय इत्यादि पर होने वाले व्यय हेतु प्रशासनिक निधि का विभाजन एवं हस्तानान्तरण की प्रकिया निदेशक, सोशल आडिट द्वारा पृथक से निर्धारित की जायेगी।

6. यदि अपरिहार्य कारणवश किसी भी स्तर पर(राज्य, जनपद, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाएं) सोशल आडिट की गतिविधियों से संबंधित कोई देयता सृजित होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति सोशल आडिट निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी 1/6 भाग में से की जायेगी।

7. जिला कार्यक्रम समन्वयक को यह अधिकार होगा कि वह जनपद में किसी भी स्तर पर प्रशासनिक निधि की कमी होने पर एक–दूसरे के हिस्से से उसकी आवश्यक प्रतिपूर्ति कर सकेंगे एवं किसी भी स्तर पर प्रशासनिक निधि के सरप्लस होने पर उसे यथावश्यकता स्थानान्तरित कर सकेंगे।

8. उपरोक्तानुसार अनुमन्यता मात्र एमआईएस के आंकड़ों के आधार पर ही प्रभावी होगी।

9. भारत सरकार के दिशा निर्देश पैरा संख्या–12.5.2 के अनुसार प्रशासनिक मद का कम से कम 2/3 भाग विकास खण्ड एवं उससे निम्नतम स्तर पर व्यय किया जाना जिला कार्यक्रम समन्वयक /जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त, ग्राम्य विकास/रोजगार

गारण्टी आयुक्त द्वारा गाइड लाइन्स के अनुरूप अनुश्रवण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रशासनिक निधि से संबंधित पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांकः 26—05—2010 की अन्य शर्तें यथावत रहेगी, तथा उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 2150 (1)/अड़तीस—7—2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त/रोजगार गारण्टी आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
3. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
4. निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव